भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या – 1777

(जिसका उत्तर मंगलवार, 9 दिसम्बर, 2014 को दिया गया)

<u>कंपनियों के पंजीकरण में कमी आना</u>

1777. श्रीमती वानसुक साइम :

क्या **कारपोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नए अधिनियम में कठिन अनुपालन नियमों के कारण इस वित्त वर्ष के प्रथम पांच माह में कंपनियों का पंजीकरण आधा हो गया है जिससे बड़े और छोटे दोनों व्यापार प्रभावित हुए हैं;

(ख) क्या 58 वर्ष पुराने अधिनियम को प्रतिस्थापित कर गत अप्रैल में लागू हुए कंपनी अधिनियम, 2013 का लक्ष्य व्यापार-हितैषी कारपोरेट विनियमन को सुविधाजनक बनाने, कारपोरेट शासन मानकों में सुधार करने और निवेशकों, विशेषकर छोटे निवेशकों के हितों की रक्षा करने के साथ-साथ कई अन्य उद्देश्यों को पूरा करना है; और

(ग) क्या सरकार इस स्थिति की समीक्षा करने के लिए उद्योग मंडलों सहित अन्य पणधारियों के साथ परामर्श करके पंजीकरण प्रक्रिया को सरल बनाने का प्रयास कर रही है?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्री (श्री अरुण जेटली)

(क) : इस वित्त वर्ष (2014-15) के पहले पांच महीनों के दौरान पंजीकृत कंपनियों की संख्या 21,260 थी जबकि पूर्व वर्ष की इसी अवधि के दौरान 43,601 कंपनियां पंजीकृत की गईं। कंपनियों के पंजीकरण का प्रत्येक महीने का विवरण नीचे तालिका में दिया गया है:-

.....2/-

तालिका

2013-14 और 2014-15 के पहले पांच महीनों में प्रत्येक महीने के दौरान पंजीकृत कंपनियों की संख्या

माह	2013-14	2014-15
(1)	(2)	(3)
अप्रैल	9,026	765
मई	10,546	1,789
जून	8,064	4,801
जुलाई	8,784	7,229
अगस्त	7,181	6,676
कुल	**43,601**	**21,260**

ऐसा कोई प्रमाण अथवा सूचना नहीं है जिससे यह पता चले कि संख्या में कमी का कारण अधिनियम का 'धीमा अनुपालन' होना है। तथापि, यह सही है कि कंपनी अधिनियम, 2013 के उपबंधों में 'छद्म कंपनियों' के विरूद्ध सुरक्षा का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त, संख्या में गिरावट का कारण नए ई-प्ररूप शुरू होना तथा व्यवसायिकों द्वारा इन प्ररूपों के बारे में जानकारी प्राप्त करने में समय लगना है।

(ख) : कंपनी अधिनियम, 2013 के लगभग 60% प्रावधान दिनांक 01.04.2014 से लागू हुए हैं। कंपनी अधिनियम, 2013 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों में अच्छे कारपोरेट शासन की अनिवार्य विशेषताएं हैं जिनका अनुपालन कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत निगमित कंपनियों द्वारा किया जाना है। कारपोरेट शासन समिति (आदि गोदरेज समिति) द्वारा संस्तुत लगभग सभी नीति घटक कंपनी अधिनियम, 2013 में शामिल किए गए हैं।

(ग) : इस मंत्रालय द्वारा (क) कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत अधिसूचित ई-प्ररूपों की समीक्षा करने, (ख) इन प्ररूपों को सरल बनाने के उद्देश्य से संशोधन प्रस्तावित करने तथा (ग) पक्षकारकों के सामने आने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिए हाल ही में एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया है।

*****